कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 41 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 5-7 जून, 2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–टिहरी में ठेला–थार्ती चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.357 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/10965/2015)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/96/2015/एफ0सी0/813 दिनांक 19–07–2018।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के पत्रांक 3399/12–1 दिनांक 21.05.2024 के द्वारा आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.715 है0 ग्राम–थार्ती सिविल सोमय भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.715 हे0 ग्राम–थार्ती सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) ₹ 24,28,565.00 (चौबीस लाख अट्ठाईस हजार पाँच सौ पैसठ रूपये मात्र) जमा कर दिया गया है। सचिव (प्रभारी), वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 1493/X-3-21/1(418)/2015 दिनांक 29.10.2021 द्वारा उक्त सिविल भूमि (8.715 है0) को संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी है। (संलग्न–1)
2.	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत् दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि ₹ 40,91,223.00 (चालिस लाख इकान्वें हजार दो सौ तेईस मात्र) जमा की गयी है।

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
		इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एवं पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित (नवीन) दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि ₹ 21,68,348.00 जमा की जा चुकी है।
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगा। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–2)**
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गई सभी निधियां (C.A Cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेटर चालान के माध्यम से उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया गया है। **(संलग्न–3)**
5.	सडक निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनरों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की बचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत कर दी गई है कि सड़क निर्माण कार्य के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा। **(संलग्न–4)**
6.	State Govt. will submit the hard copy of Part I, II & III, in original.	शर्त के अनुपालन में ऑनलाईन भाग– I, II एवं III की हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं। **(संलग्न–5, 6 एवं 7)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– 51 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार, जनपद टिहरी गढवाल।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 3399 /12–1 नई टिहरी, दिनांक– 21/05/ 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद–टिहरी में ठेला थार्ती चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.357 है0 वन भूमि में एन0पी0वी0 की संशोधित दरो के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि जमा कर विधिवत् स्वीकृति निगर्त करनें के सम्बन्ध में। (online no.FP/UK/ROAD/10965/2015).**

सन्दर्भः– आपका कार्यालय पत्रांक–2612/1जी–5057(टि0सै0स्वी0 अनु0), दिनांक–16.05.2023 एवं अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली, मु0–घुमेटीधार का पत्रांक–522/10एमजी, दिनांक–29.04.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हुये 05 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है परन्तु वर्तमान समय तक विधिवत् स्वीकृति (Stage-II Approval) जारी नही हुयी है, ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार के पत्रांक–05–03/2011–एफ0सी0(Vol-I), दिनांक–06–01–2022 द्वारा निर्गत नवीनतम दिशा–निर्देशो के अनुसार एन0पी0वी0 की संशोधित दरो के अनुसार बढी हुयी अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कराते हुये अनुपालन आख्या प्रेषित की जानी है।

अवगत कराना है कि विषयगत मोटर मार्ग हेतु एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि **रू0 2168348.00 (इक्कीस लाख अठ्सड हजार तीन सौ अड़तालीस रू0 मात्र)** प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा करा दी गयी है । अतः जमा कराये गये अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि का चालान व सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति की कार्यवाही करनें का कष्ट करे।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 5054
पत्रावली 12-1
दिनांक 25-5-24

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

पत्रांकः– / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार, जनपद–टि0ग0 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

उ0नि0 सं0/प्रभारी टिहरी
आ0 का0 करें।

अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT, GHANSALI,
HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

P.O. Pilkhi, Pin Code-249181
Website- http://pwd.uk.gov.in

Phone and Fax No. 01379-258327
E-Mail :-eepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक 522/10 एम0जी0 दिनांक 29/04/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

विषयः– जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड़–भिलंगना में ठेला–थार्ती–चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।(Online no.FP/UK/ROAD/10965/2015)

सन्दर्भ– आपका कार्यालय पत्रांक–175/12–1 नई टिहरी, दिनांक–21.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि विषयगत मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/96/2015/एफ0सी0/813, दिनांक–19.07.2018 के द्वारा प्राप्त है, जिसकी विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–1107/10एम0जी0, दिनांक–20.08.2019 को प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को प्रेषित की गयी थी। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1364/10एम0जी0, दिनांक–16.09.2023 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अनुस्मारक पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर में प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के कार्यालय पत्रांक–175/12–1 नई टिहरी, दिनांक–21.07.2023 के द्वारा भारत सरकार के पत्रांक–05–03/2011–एफ0सी0(Vol-I), दिनांक–06.01.2022 द्वारा निर्गत नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार रू0–21,68,348.00 की धनराशि का मांगपत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। जिसका चालान इस खण्ड़ द्वारा दिनांक–11.03.2024 को कैम्पा के पक्ष में जमा कर दिया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– रू0–21,68,348.00 के चालान की क्षायाप्रति।

सामान्य लि0 यू0 आ0 कार्य0 करें

टिहरी वन प्रभाग
रजिस्टर न0 4392
फाइल न0 12-1
दिनांक 15.05.24

प्र0 वृ0 3/5/24 C.A.

(इं0 डी0 सी0 नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार।

पत्रांकः– तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–
1. जिलाधिकारी महोदय, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 8वां वृत्त, लो0नि0वि0,नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार।

* compliance not online uploaded

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-03-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT GHANSALI
Application No.	6110965672
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/96/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TEMP. DIV. PWD GHANSALI UTTRAKHANDTehri Garhwal
Amount(In Rs)	2168348/-

Amount In Words :Twenty-One Lakh Sixty-Eight Thousand Three Hundred and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110965672 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jolitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-03-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT GHANSALI
Application No.	6110965672
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/96/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TEMP. DIV. PWD GHANSALI UTTRAKHAND Tehri Garhwal
Amount(in Rs)	2168348/-

Amount In Words :Twenty-One Lakh Sixty-Eight Thousand Three Hundred and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110965672 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
घनसाली (टि० ग०)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
घनसाली (टि० ग०)

वसूली होने पर आदाता के खाते में जमा किया जाएगा।
Payee's A/c will be Credited on realisatrion
कृते भारतीय स्टेट बैंक / State Bank of India
प्राधिकृत अधिकारी / Auth. Officer
शाखा–घनसाली / Branch Ghansali

137/2021

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3
संख्या– 1493/X-3-21/1(418)/2015
देहरादूनः दिनांकः 29 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला टिहरी गढवाल के अन्तर्गत **"ठेला–थार्ती चिरबिटिया मोटर मार्ग"** हस्तान्तरित 4.357 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड0 (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) के 8.715 है0 क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैंः–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	पट्‌टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रकवा (है0 में)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	टिहरी गढ़वाल	थार्ती	नैलचामी	10/292	1531	1.176	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)(ड़)
					1643	0.512	
					1771	0.286	
					1801	0.155	
					1810	0.314	
					1812	1.184	
					1820 मध्ये	1.428	
					1825 मध्ये	1.791	
					1898	0.212	
					1906	0.227	
					1932	0.346	
					2261	0.427	
					2274	0.385	
					2315 मध्ये	0.272	
					योगः–	**8.715**	

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

सं॰अ॰/प्रभारी टिहरी
आ॰का॰के॰।

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 28-10-2021 13:45:16

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

/13736/2021

संख्याः– 1493 /X-3-21/1(418)/2015,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. वन सरंक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती।
6. जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
8. उप जिलाधिकारी, घनसाली।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशि खण्ड(ब), भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

37.../2021 In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification............/............. Dehradun, dated.................... for general information.

Government of Uttarakhand
Forest Section-03
File No. 1493/X-3-21/1(418)2015
Dehradun : Date :-29 October, 2021

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)d land (for other agricultural use barren land) total 8.715 hectare, as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Tehri Garhwal to the forest department for compensatory plantation against the 4.375 hectare Reserve Forest land transferred for the construction of **Thalla-Tharti-Chirbitya** Motor Road in District Tehri Garhwal, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. No.	District	Village	Patti	Khata Number	Khasra Number	Total area acquired (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tehri Garhwal	Thari	NailChami	10/292	1531	1.176	Uttarakhand Government Category-9(3)(d)
					1643	**0.512**	
					1771	**0.286**	
					1801	**0.155**	
					1810	**0.314**	
					1812	**1.184**	
					1820	**1.428**	
					1825	**1.791**	
					1898	**0.212**	
					1906	**0.227**	
					1932	**0.346**	
					2261	**0.427**	
					2274	**0.385**	
					2315	**0.272**	
					Grand Total	**8.715**	

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

(Vijay Kumar Yadav)
Secretary (Incharge)

Copy- Sent to the following for information and action.

1. Principal Chief-Conservator of Forests (HOFF), Uttarakhand, Dehradun.
2. Principal Chief Conservator of Forests Wildlife, Uttarakhand, Dehradun.
3. Additional Chief Conservator of Forests, and Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun.
4. Commissioner, Garhwal Mandal, Uttarakhand, Pauri.
5. Chief Conservator of Forests, (Garhwal), Uttarakhand, Pauri.
6. Conservator of Forests, Bhagirathi Circle, Uttarakhand, Muni Ki Reti.
7. District Magistrate, Tehri Garhwal.

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 28-10-2021 13:44:39

पंजी०कृत

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 463/12-1 नई टिहरी, दिनांक– 28/08/ 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून,
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

विषयः– **जनपद टिहरी में ठेला–थार्ती–चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.357 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(ऑनलाईन पत्रावली सं0–FP/UK/ROAD/10965/2015)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/96/2015/एफ0सी0/813, दिनांकः–19–07–2018 एवं प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक–1107/10 एम0जी0, दिनांक–20–08–2019।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद टिहरी में ठेला–थार्ती–चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.357 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के लिए कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक–1107/10 एम0जी0, दिनांक–20–08–2019 **(संलग्नक–01)** से बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई हैः–

1– **शासन की शर्त सं0–01** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.715 है0 ग्राम–थार्ती सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु0–24,28,565.00 (चौबीस लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ पैंसठ रूपये मात्र) की धनराशि जमा करा दी गयी है। जमा की गयी धनराशि के ऑनलाईन जनरेट चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–02)**

ग्राम–थार्ती सिविल सोयम भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है जिसे जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के आदेश संख्या–435/XI–58(2018–19), दिनांक–20–07–2019 से वन विभाग के नाम नामान्तरित/इन्द्राजी कर दी गई है। सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी का ग्राम–थार्ती सिविल सोयम भूमि को कब्जे में लिए जाने का प्रमाण–पत्र अमल–दरामद मय नक्शा, खसरे की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–03)**

2– **शासन की शर्त सं0–02** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05–02–2009 के तहत दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि मु0–40,91,223.00 (चालीस लाख एकनबे हजार दो सौ तेईस रूपये मात्र) जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–02)**

3– **शासन की शर्त सं0–03** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने की वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है। **(संलग्नक–04)**

4– **शासन की शर्त सं0–04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गई सभी निधिया (C.A. Cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर ऑन लाईन जनरेट चालान के माध्यम से उचित ऑनलाइन बैंक मे जमा किया गया है। (संलग्नक–02)**

क्रमशः—2—

5— **शासन की शर्त सं0—05** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनवद्धता प्रस्तुत कर दी गई है कि सडक निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां—जहां सम्भव हो सडक के दोनो ओर Central Verge पर वन विभाग की देख—रेख में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर Strip Plantation किया जायेगा। **(संलग्नक—05)**

6— **शासन की शर्त सं0—06** के अनुपालन में ऑनलाईन भाग—1, 2 एवं 3 की हार्ड प्रति संलग्न है। **(संलग्नक—06)**

अतः शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी तीन प्रतियों में मय संलग्नक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली, मु0—घुमेटीधार, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

प्रभारी वनपद टिहरी, कृपया विषयक पत्रावली में अवलोकन करें।
02-9-2019

कार्यालय
... प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधि...
... संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराख...
देहरादून
...पि0 सं0 ...
...वली ...
...नांक ...

संलग्नक-2

प्रतिपर्ण / Counter Foil

आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ. टी द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन

Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

शाखा/Branch S.B.I. Ghansali

दिनांक/Date 7/12/2019

Received From अधिशासी अभियन्ता अ० खण्ड लो० नि० वि० घनसाली से प्राप्त किया

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए

By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर / on

बैंक / Bank Corporation Bank Lodhi complex Branch Block 11 C.G.O Complex Phase

शाखा / Branch I Lodhi road New DELHI

के पक्ष में / Favouring Compensatory Afforestation Fund.

आईएफएससी कोड IFSC Code CORP0000371

खाता संख्या/Account No. 1 5 0 8 9 6 1 1 0 9 6 5 3 6 2

राशि (रुपये)/Amount ₹	6519788.00
बैंक प्रभार/Bank's Charges ₹	—
योग/Total ₹	6519788.00

(शब्दों में) Rupees (In words) ....)

UTR 419038234442

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो०नि०वि०
घनसाली, टिहरी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो.नि.वि. घनसाली
टिहरी गढवाल

CS Scanned with CamScanner

संलग्नक-2

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 07-01-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT GHANSALI
Application No.	6110965362
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/96/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TEMP. DIV. PWD GHANTehri Garhwal
Amount(In Rs)	6519788/-

Amount In Words :Sixty-Five Lakh Nineteen Thousand Seven Hundred and Eighty-Eight Rupees Only

UTR 419038234442

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110965362 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
घनसाली, टिहरी गढ़वाल

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 07-01-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT GHANSALI
Application No.	6110965362
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/96/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TEMP. DIV. PWD GHAN Tehri Garhwal
Amount(In Rs)	6519788/-

Amount In Words :Sixty-Five Lakh Nineteen Thousand Seven Hundred and Eighty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110965362 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

CS Scanned with CamScanner

संलग्नक-3

::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/96/2015/ एफ0ससी0/813 दिनांक 19 जुलाई 2018 की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में जनपद टिहरी गढ़वाल के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में ठेला–थार्ती–चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.357हे0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0 लो0नि0वि0 घनसाली को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 8.715हे0 सिविल भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी घनसाली के पत्र संख्या 2262/1जे0ए0 (विविध–जांच)–2019 दिनांक 28 मार्च 2019 के द्वारा भूमि प्रस्तावित की गयीं है। जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	याचिका रक्वा (हे0में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
थार्ती	नैलचामी	10/292	1531	1.176	उत्तराखण्ड सरकार की श्रेणी 9(3)ङ
			1643	0.512	
			1771	0.286	
			1801	0.155	
			1810	0.314	
			1812	1.184	
			1820म0	1.428	
			1825म0	1.791	
			1898	0.212	
			1906	0.227	
			1932	0.346	
			2261	0.427	
			2274	0.385	
			2315म0	0.272	
योग				8.715	

प्रस्तावित ठेला–थार्ती–चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 2882/XXIII(II)/11–18(120)/ 2010 दिनाँक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या 2365/XXIII(II)/13–18(120)/2010 टी0सी0 दिनाँक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XXIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग दिनाँक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली के द्वारा प्रस्तावित किया गया अर्जित खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा 8.715हे0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार घनसाली तत्काल उक्त भूमि को

संलग्नक-3

::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/96/2015/ एफ0ससी0/813 दिनांक 19 जुलाई 2018 की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में जनपद टिहरी गढवाल के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में ठेला-थार्ती-चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.357है0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0 लो0नि0वि0 घनसाली को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 8.715है0 सिविल भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी घनसाली के पत्र संख्या 2262/1जे0ए0 (विविध-जांच)-2019 दिनांक 28 मार्च 2019 के द्वारा भूमि प्रस्तावित की गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	याचिका रक्वा (है0में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
थार्ती	नैलचामी	10/292	1531	1.176	उत्तराखण्ड सरकार की श्रेणी 9(3)ड
			1643	0.512	
			1771	0.286	
			1801	0.155	
			1810	0.314	
			1812	1.184	
			1820म0	1.428	
			1825म0	1.791	
			1898	0.212	
			1906	0.227	
			1932	0.346	
			2261	0.427	
			2274	0.385	
			2315म0	0.272	
योग				8.715	

प्रस्तावित ठेला-थार्ती-चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 2882/XXIII(II)/11-18(120)/ 2010 दिनॉक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या 2365/XXIII(II)/13-18(120)/2010 टी0सी0 दिनाँक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा,' तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XXIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग दिनॉक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली के द्वारा प्रस्तावित किया गया अर्जित खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा 8.715है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार घनसाली तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढवाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या- 435/XI-58 (2018-19) दिनॉक, नई टिहरी, जुलाई 20, 2019

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
3- आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
4- नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5- प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी।
6- अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0 लो0नि0वि0 घनसाली।
7- उप जिलाधिकारी घनसाली।
8- तहसीलदार घनसाली।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढवाल।

टिहरी वन प्रभाग
रजिस्टर नं0 220
कुल नं0 12
दिनांक 23/7/19

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग

संलग्नक-3

अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत ठेला–थार्ती–चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.357 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप जिलाधिकारी टिहरी के आदेश सं0–435/XI–58 (2018-19) दिनांक नई टिहरी जुलाई 20, 2019 से जारी निर्देश के क्रम में हस्तान्तरण अमल दरामद 8.715 हे0 चिन्हित सिविल भूमि जो खाता सं0 10/292 के खसरा सं0 1531,1643,1771,1801,1810,1812,1820म0,1825म0,1898,1906,1932,2261,2274 व 2315म0 के अनुसार याचिका रक्वा (हे0) क्रमशः– 1.176,0.512,0.286,0.155,0.314,1.184,1.428,1.791,0.212,0.227,0.346,0.427, 0.385 व 0.272 कुल योग– 8.715 हे0 में है, राजि अधिकारी भिलंगना द्वारा अपने कब्जे में ले ली गयी है, जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र ठेला
तहसील-घनसाली
जनपद-टिहरी गढ़वाल

वन बीट अधिकारी
थार्ती बीट

वन दरोगा थार्ती
अनुभाग

राजि अधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना रेंज, घनसाली,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
घनसाली, टिहरी गढ़वाल

खाता खतौनी ज० वि० २० 1424 से 1429 फ० तक – ग्राम थाती पट्टी नैलचामी रा० उ० नि० क्षेत्र-ठेला-रा० नि० क्षे० डांगी
तहसील- घनसाली- जिला टिहरी गढ़वाल

मूलेख प्रपत्र सं० प–11

10/292	वर्ग 9(3)ड० कृषि योग्य बंजर भूमि—			10/292	1812	1.184
	उ० प्र० सरकार वर्ग 9(3)ड०	2	0.010		1820	1.449
		6	0.011	आदेश 1427 फ०	1825	2.355
		8	0.212	जि० अ० महोदय टिहरी गढ़वाल	|	|
		153	0.108	के आदेश सं०- 435/X1-58(2018-19)	1896	0.556
		|	|	दिनांक नई टिहरी जुलाई	1898	0.212
				20-2019 के अनुसार खसरा नं०	1906	0.227
		लगातार	लगातार	531 1643 1771 1801 1810	|	|
		1531	1.176	1.176 0.512 0.286 0.115 0.314	1932	0.346
		1539	0.225	1812 1820 मि० 1825 मि० 1898	2261	0.427
		|	|	1.184 1.428 1.791 0.212	2274	0.385
		1641	0.068	1906 1932 2261 2274 2315 मि०	2315	0.431
		1643	0.512	0.227 0.346 0.427 0.385 0.272	|	|
		1654	0.004	कुल 8.715 हे० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण		
		|	|	हेतु वन विभाग के नाम दर्ज किया।	6411	0.146
		1763	0.015	[signature]	6420	0.023
		1771	0.286	बी० एस० बिष्ट	6430	0.564
	Photocopy attested	1787	0.030	राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र ठेला योग	731	75.761
	[signature]	|	|	तह० घनसाली जनपद टिहरी गढ़वाल	असल से तैयार की गई।	
	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० घनसाली, टिहरी गढ़वाल	1801	0.155	30-07-2019	[signature] रा० उ० नि० ठेला 30-07-2019	
		1803	0.016			
		1810	0.314			

प्रि० उ० प्र० (आर०ई०) 03 रा० परि० / 28-30-05-2014-50,000 फार्म (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

CS CamScanner

संलग्नक–4

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ठेला–थार्ती–चिरबिटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि की शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी जायेगी।

16.08.19

(इं0 नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0,घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

संलग्नक - 5

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ठेला–थार्ती–चिरबिटिया मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग के देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा

16.08.19

(इं० नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०,घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

संलग्नक - 6

FORM - A

...rm for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

(i). Proposal No. : FP/UK/ROAD/10965/2015

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : New Construction Of Thela Tharti Chirbitiya Motor Road

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Length of the proposed alignment is 6.75 km which is technically and geologically fit .the proposed alignment contains 5 HP bends and effects the minimum reserve forest area and minimum oak trees .presently the distance between THATHI TO CHIRBATIA is approximately 30kms and after the construction of

(iv). State : Uttarakhand

(v). Category of the Project : Road

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 380

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 4.357

(ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 0.472

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 99

A-2. Details of User Agency

(i). Name : PUBLIC WORKS DEPARTMENT GHANSALI

(ii). Address1 : OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TEMP. DIV. PWD GHANSALI UTTRAKHAND

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Uttarakhand

(v). District : Tehri Garhwal

(vi). Pin : 249155

(vii). Landmark : NIL

(viii). Email address : eepwdghansali@rediffmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 1379-258327

(x). Fax No. : 1379-1379

(xi). Mobile No. : 7533944842

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Legal status of User Agency : State Government

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: RATNESH

(ii). Middle Name: KUMAR

(iii). Last Name: SAXENA

(iv). Gender: Male

(v). Designation: ASST.ENGINEER

(vi). Address 1: C/O EXECUTIVE ENGINEER TEMP. DIV PWD GHANSALI, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Tehri Garhwal

(x). Tehsil: Ghansali

(xi). Pin: 249155

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: eepwdghansali@rediffmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 1379-258327

(xv). Fax No.: 01379258327

(xvi). Mobile No.: 7533944842

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
घनसाली, टिहरी गढ़वाल

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Tehri,New Tehri	4.357	0.472

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Tehri Garhwal	4.357	0.472

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Tharti	4.357	0.472

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	tharti 6b,7a	4.357	0.472

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Tehri,New Tehri

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 4.357

(ii). : Linear

(b). No. of Segments : One

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	4.357	View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: Map

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो०नि०वि०
घनसाली,टिहरी गढ़वाल

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: Map

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land:

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes

(a). Copy of map indicating location of alternative examined:

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 2

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 250

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildelife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i).Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted:

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ?: No

(iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1

(iv). No. of patches: Five

District 1. : Tehri Garhwal
(a). Village: tharti
(b). Area(in ha.): 8.715
(c). Copy of KML file of the patch: View File

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो०नि०वि०
घनसाली,टिहरी गढ़वाल

(d). Khasra details:
1812,1820,1906,1932,1531,1771,1801,1810,1643,1896,1893,1898,2261,1894,2272,2315

(e). Present owner: Others

(f). Copy of ownership proof:

(g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency:

(h). Copy of non encumberence certificate for the forest land:

(v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS ot Total Station:

(vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation:

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		The correction have been made as per the instruction received
2		A short narrative and importance of the project
3		Administrative and Financial sanction
4		Preliminary Joint Inspection report (by user agency, Forestdepartment, revenue department
5		Comparative chart showing statement of both alignment and alternate site explored for the proposed project and reason for their rejection duly countersigned by DfO
6		Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum
7		Land schedule (for RF signed by DFO and civil soyam, Van panchayat and privet nap land, Notified forest land
8		Category wise (RF,civil soyam,Van panchayat and privet nap land, Notified forest land etc.) land length, width and area in Ha
9		Bar chart
10		Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land (10 years) by DFO
11		Certificate regarding suitability of identified land for Compensatory Afforestation by DFO
12		Undertaking by the user agency to bear the cost of compensatory afforestation duly counter signed by the DFO
13		Road side/gap filling plantation estimate

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो०नि०वि०
घनसाली,टिहरी गढवाल

14		Details of the tree with their scientific name in RF,Civil Soyam ,Van panchayat ,Privet Land should be mentioned (with valuation of the trees to be filled)(0-10 dia trees will be mentioned as saplings).(pdf file)
15		Felling of Oak Trees (If involves, Inspection report of the concerning CF has to be provided
16		If felling of tree is not involved, certificate by DFO in this regard
17		Certificate of felling minimum trees during the project work
18		Muck disposal scheme
19		WatherProject area Is not Part Of National Park Or Sanctuary And Arial Distance Of The Project From National Park Or Sanctuary Singed By DFO
20		In The Project Area Is Within 10 K.M Radios Of N/P Or Century Comments/No Objection Certificate Of CCE Wild Life Has To Be Provided
21		In The Project Falling Within The National Park Or Centaury ,Needs Recommendation Of State Wild Life Board Of wild Life(NBWL) And Permission Of Hon Ble Supreme Court
22		No Violation Has Taken Place,FC Act 1980 Reg
23		Noc From Local Gram Sabha's
24		Component Wise Details Of Construction Work
25		Certificate Work Has Not Been Started Reg.(
26		Geologist report
27		Task Force Certificate
28		Certificate By user Agency For Complying The Condition Imposed In Standard Condition
29		Certificate By User Agency For Complying The Condition Imposed In Geologist Report/Task Force Recommendation In Hill Areas(Excluding Drinking Water)
30		No Historical / Monumental Or Religious Place Will Be Effected Certificate
[illegible]		Under The Provide Alternative Fuel wood, Kerosene Or LPg To Labors Involved In Project
32		Benefited Village/Families/Population
33		NPV Calculation Certificate As Per Hon'bleSupreme Court/MOEF Orders By DFO
34		Undertaking Of Payment Of NPV If Hon'ble Supreme Court Increase The Rates Of NPV
35		Cost Of Forest Land And Lease Rent Certificate By DM
36		Certificate Br Lease Period By user A Agency
37		Demarcation Of Land To Be Diverted,Undertaking Of User Agency To Bear The Cost Of Demarcation Work
38		Fact Sheet

Photocopy attested
[signature]
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो०नि०वि०
घनसाली,टिहरी गढ़वाल

39		The correction have been made as per the instruction received
40		Query have removed as per direction received.
41		Rechecking letter
42		Quarry have removed as per direction received.
43		Query have removed as per direction received
44		Justification for the inquiry made by nodal officer.
45		Geo reference map of Road & CA
46		Reply of EDS
47		REply of EDS 30/05/2018

Print page

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो०नि०वि०
घनसाली,टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र–23

रियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में जिला योजना के अन्तर्गत ठेला–थार्ती–चिरबिटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– थार्ती
तहसील–घनसाली जिला–टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत ठेला–थार्ती–चिरबिटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 3.692 है0 आरक्षित वन भूमि 0.659 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 4.351 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड / संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थार्ती द्वारा दिनांक–23/11/15.... को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थार्ती के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव

ह0 / –
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
घनसाली,टिहरी गढ़वाल

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0528/2015

1. **Location of the project/Scheme :** Uttarakhand

   (i) **State / Union Territory :** Uttarakhand

   (ii) **District :** Tehri Garhwal

   (iii) **Forest Division :** Tehri,New Tehri

   (iv) **Area of forest land proposed for diversion (in ha.) :** 4.357

   (v) **Category :** Road

2. **Legal status of forest land proposed for diversion :**

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Tehri,New Tehri	3.692	Reserved Forest
2	Tehri,New Tehri	0.665	Civil Soyam land

Division 1. : Tehri,New Tehri

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Tehri Garhwal	4.357

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

   (i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	4.357	0.7	Eco 5

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	Chir	0	100	120	136	166	64
2	Quercus leucotricophora	Banj	0	68	26	6	2	0
3	Alnus Nepalensis	Utish	0	30	37	30	10	1
4	Misc. Species	Anyar	0	20	20	40	10	0
5	Mycia nagi	Kafal	0	0	8	0	0	0
6	Rhododendron arboreum	Buransh	0	20	40	0	0	0

5. **Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :**

According the working plan the proposed compartment have been selected for the forestry and forestry development work.

6. **Brief note on vulnerability of the forest area to erosion :** No erosion area.

7. **Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) :** 0.001

8. **Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :**

   (i). **Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion :** Leopard, Barking deer, Jackal, Monkey, Jungli Suar

   (ii). **Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. :** No

   (iii). **Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ):** No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :

(i). Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

Patch Wise Details						
S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	khasra	KML file	Present Owner file
1	Tehri Garhwal	tharti	8.715	1812,1820,1906,1932,1531,1771,1801,1810,1643,1896,1893,1898,2261,1894,2272,2315		

(ii). Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:

(iii). Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A:

Additional Information Details :

S. No.	Documents	Remarks
1		Query reply for Nodal office.
2		1-Total diverted forest area since 1980-3560.0274 ha. 2-CA done in Tehri Forest Division-963.975 ha. 3-CA done in Lalitpur (UP)-3959.74 ha. 4-CA done in Jhansi (UP)-638.11 ha. TOTAL CA TILL DATE AGAINST DIVERTED LAND IS-5561.825 HA.
3		R.O. Objection Dt-14-10-2016 Reply.
4		EDS compliance letter EDS Dated 02-02-2018.
5		EDS reply date-24-04-2018
6		District Profile.

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Tehri Garhwal	383700	143268	6512.45	560	3717.11	17/05/2018	2571.56	4090.37

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Tehri,New	Bhagirathi	DFO	Yes	One		13/07/2015